एग्री आर्टिकल्स
(कृषि लेखों के लिए ई-पत्रिका)
वर्ष: 02, अंक: 02 (मार्च-अप्रैल, 2022)
www.agrilrticles.com पर ऑनलाइन उपलब्ध
© एग्री आर्टिकल्स, आई. एस. एस. एन.: 2582-9882

किसान उत्पादक संगठन (Farmer Producer Organization) बनाना होगा

(*प्रदीप कुमार[1] एवं बिशना राम[2])

[1]कृषि अर्थशास्त्र विभाग, स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर

[2]कीट विज्ञान विभाग, स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर

* pradeepagriculturaleconomics@gmail.com

किसान उत्पादक संगठन (FPO) (Farmer Producer Organization) जिसका शुभारंभ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूपी के चित्रकूट से किया था। एफपीओ यानी किसानी उत्पादक संगठन (कृषक उत्पादक कंपनी) किसानों का एक समूह होगा, जो कृषि उत्पादन कार्य में लगा हो और कृषि से जुड़ी व्यावसायिक गतिविधियां चलाएगा। यह एक लघु व सीमांत किसानों का एक समूह होगा, जिससे उससे जुड़े किसानों को न सिर्फ अपनी उपज का उचित बाजार मिलेगा बल्कि खाद, बीज, दवाइयों और कृषि उपकरण आदि खरीदना भी आसान होगा। सेवाएं सस्ती मिलेंगी और बिचौलियों के मकड़जाल से मुक्ति मिलेगी।अगर अकेला किसान अपनी पैदावार बेचने जाता है, तो उसका मुनाफा बिचौलियों को मिलता है। एफपीओ सिस्टम में किसान को उसके उत्पाद के भाव अच्छे मिलते हैं, क्योंकि यहां बिचौलिए नहीं होंगे। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के मुताबिक ये 10,000 नए एफपीओ 2019-20 से लेकर 2023-24 तक बनाए जाएंगे। इससे किसानों की सामूहिक शक्ति बढ़ेगी।

एफपीओ का गठन और बढ़ावा देने के लिए अभी लघु कृषक कृषि व्यापार संघ और राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक काम कर रहे हैं। व इशलिये राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) को भी इसकी जिम्मेदारी दे दी गई है।

किसान उत्पादक संगठन कैसे काम करता है

अगर संगठन मैदानी क्षेत्र में काम कर रहा है तो कम से कम 300 किसान उससे जुड़े होने चाहिए। यानी एक बोर्ड मेंबर पर कम से कम 30 लोग सामान्य सदस्य होगें, तभी लाभार्थी को इस योजना का लाभ मिलेगा। जवकि पहाड़ी क्षेत्र में एक कंपनी के साथ 100 किसानों का जुड़ना जरूरी है। नाबार्ड कंस्लेंसी सर्विसेज आपकी कंपनी का काम देखकर लाभार्थी को रेटिंग देगी, उसके आधार पर ही आपको ग्रांट मिलेगा। इस योजना से बिजनेस प्लान देखा जाएगा कि कंपनी दवारा कौन से किसानों को फायदा मिल रहा है, और वो किसानों के उत्पाद का मार्केट उपलब्ध करवा पा रही है या नहीं।

इस योजना से ये भी देखा जाएगा कि कंपनी का गवर्नेस कैसा है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कागजी हैं, वे काम कर रहे हैं या नहीं और किसानों की बाजार में पहुंच आसान बनाने के लिए काम किया जा रहा है या नहीं।

अगर कोई कंपनी अपने से जुड़े किसानों की जरूरत की चीजें जैसे बीज, खाद और दवाईयों आदि की कलेक्टिव खरीद कर रही है तो उसकी रेटिंग अच्छी हो सकती है। क्योंकि ऐसा करने पर किसान को सस्ता सामान मिलेगा।

किसान उत्पादक संगठन योजना का मुख्य उद्देश्य व लाभ

किसान उत्पादक संगठन FPO योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों की आय को वढाना है।, किसान उत्पादक संगठन FPO योजना का लाभ देश के सभी किसानों को मिलेगा। इस योजना से देश में 10000 किसान उत्पादक संगठनों की शुरुआत की जाएगी। इस योजना में रजिस्टड होने के बाद ही किसान लाभ उठा सकते हैं। रजिस्ट्ड होने के बाद उन्हें कंपनी दवारा सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएगीं। इस योजना से किसानों की आय में सुधार होगा। किसानों के लिए खाद, बीज, कृषि उपकरण आदि खरीदना आसान हो जाएगा। इस योजना से किसानों को उत्पाद के भाव अच्छे मिलेगें। इस योजना से अगले पांच साल तक कृषि के स्तर और किसानों की दशा को सुधारने के लिए 5000 करोड़ रुपये खर्च किए जाएगें।

किसान उत्पादक संगठन योजना के लिए पात्रता व दस्तावेज

देश के स्थायी निवासी किसान वर्ग हो, आधार कार्ड, स्थायी प्रमाण पत्र जमीनी दस्तावेज, बैंक खाता पासपोर्ट साइज फोटो मोबाइल नम्वर, इस लेख के माध्यम से यह बताने का प्रयास किया जा रहा है कि किसान कम्पनी का गठन होते ही कौन कौन से काम करने जरूरी होते हैं और किसान कंपनी का सचालन टीम बना कर कैसे किया जा सकता है और किसान प्रोड्यूसर कम्पनी के माध्यम से सफलता अर्जित की जा सकती है।

1. जैसे ही किसान कम्पनी का पंजीकरण होता है तो किसानों को रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज की ओर से एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दिया जाता है जिसमें CIN (कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर), कंपनी का नाम, पंजीकरण की तारीख और रजिस्टर्ड कार्यालय का पता लिखा होता है।
2. आजकल कंपनी रजिस्ट्रेशन के साथ ही PAN कार्ड और TAN नम्बर अप्लाई हो जाते हैं जिससे किसानों की बड़ी मदद हो जाती है क्योंकि बिना PAN कार्ड के आजकल बैंक खाते नही खोलते हैं ।
3. किसान प्रोड्यूसर कंपनी पंजीकृत होते ही सबसे पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की पहली बैठक बुलवानी होती है जिसमे बैंक खाता खुलवाने का रेजोल्यूशन पास करना जरूरी होता है। रेजोल्यूशन पास करने के लिए हर बैंक का अपना एक फॉरमेट होता है जिसे पहले ही ले लेना चाहिए ।
4. बैंक खाता खुलने के बाद सबसे पहला काम है किसान प्रोड्यूसर कंपनी के लिए कैपिटल एकत्र करना। सबसे पहले जिन 10 किसानों ने कंपनी गठन करने में अपनी भूमिका निभाई है उनको आपसी राय मशवरे से कंपनी के शेयर्स लेने चाहिए। कम्पनी में शेयर लेने का मतलब है कंपनी में हिस्सेदारी लेना जो केवल पैसे देकर ली जा सकती है।
5. बोर्ड ऑफ़ डायरेक्टर्स की पहली बैठक में कम्पनी के चालू वित्त वर्ष के लिए ऑडिटर की नियुक्ति करनी जरूरी होती है इसके लिए एक रेजोल्यूशन भी पास करना जरूरी होता है | ऑडिटर की नियुक्ति करने के लिए कंपनी सेक्रेट्री के पास जा कर ADT-1 फार्म भरना पड़ता है जिसे कम्पनी सेक्रेटरी रजिस्ट्रार ऑफ़ कम्पनीज को भेजना पड़ता है। नियुक्ति हो जाने पर एक चालान (रसीद) ऑनलाइन जेनरेट होती है उसे अपने रिकॉर्ड में संभाल कर रखना पड़ता है |
6. किसान कम्पनी को करंट एकाउंट खोलना चाहिए, जो भी बैंक ब्रांच किसान कंपनी कार्यालय के निकट हो वहां खाता खोल लेना चाहिए या फिर जिस बैंक में अच्छे ताल्लुकात हों वहां खाता खोल लेना चाहिए ।

7. पंजीकरण के बाद चार्टेड अकाउंटेंट एक छोटी सी किताब नुमा डॉक्यूमेंट देता है जिसे मेमे ओरंडम ऑफ एसोसिएशन कहते हैं इसके अंदर किसान प्रोड्यूसर कम्पनी बनाये जाने के उद्देश्य और कम्पनी को चलाने के नियम कानून और उनके कायदे लिखे होते हैं।

8. जो फार्मर प्रोड्यूसर कम्पनीज 2 नवम्बर 2018 के बाद बनी हैं उन्हें बैंक खाता खुलने के बाद अपना कारोबार शुरू करने के लिए रजिस्ट्रार ऑफ़ कम्पनीज से कोम्मेंस्मेंट ऑफ़ बिजनेस सर्टिफिकेट प्राप्त करना आवश्यक है अन्यथा रजिस्ट्रार कंपनी का पंजीकरण रद्द भी कर सकता है और जुर्माना भी लगा सकता है | इस सर्टिफिकेट को लेने के लिए कंपनी सेक्रेटरी या चार्टेड अकाउंटेंट के कार्यालय से आवेदन किया जाता है |

9. कम्पनी संचालन के कायदों की पूरी जान इसी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर मौजूद आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन नामक चैप्टर में लिखे होते हैं। इसीलिए किसी थोड़े घणे सयाने आदमी को बीच मे लेकर इसे अच्छे से पढ़ समझ लेना चाहिए। जितनी बार पढोगे उतना अच्छा है और हरबार नई नई बातें आपकी पकड़ में आएंगी। जिससे आपका कॉन्फिडेन्स बढ़ेगा।

10. कंपनी बनते ही सबसे पहले एक बस्ता बनाना लाजिमी होता है जिसे रजिस्टर्ड कार्यालय में रखा जाना चाहिए इस बस्ते में कंपनी से जुड़े सभी कागज़ात, जैसे मेमेओरंडम ऑफ एसोसिएशन, लेटर हेड्स, मुहर, कम्पनी सील (गोल मुहर), हाजिरी रजिस्टर, रेजोल्यूशन रजिस्टर, शेयर होल्डर रेजिटर आदि रखे जाने होते हैं।

11. किसान प्रोड्यूसर कम्पनी के पंजीकृत होने के 90 दिनों के अंदर अंदर AGM (एनुअल जनरल मीटिंग) करनी आवश्यक होती है इसके अंदर सभी महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास किये जाते हैं (इसको आयोजित करने की प्रक्रिया पर एक अलग से लेख लिख कर प्रकाश डालूँगा), इस बैठक में डायरेक्टर्स को बदला जा सकता है कोई नया आना चाहे या कोई छोड़ कर जाना चाहे तो यह एक महत्वपूर्ण अवसर होता है | इस बैठक का रिकॉर्ड रखना जरूरी होता है।